रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 10, 2018/अग्रहायण 19, 1940
No. 480] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 10, 2018/AGRAHAYANA 19, 1940

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2018

फा. सं. 24–14/2018 (स्नातकीय विनियम).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (झ), (ञ) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियमों का निर्माण करती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ एवं विनियोग.**—(1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(3) ये विनियम उन छात्रों पर लागू होंगे जिन्हे शैक्षणिक सत्र (2019–2020) के प्रारंभ से बीएमएस, बीएसएमएस एवं बीयूएमएस के लिए प्रवेश किया गया होगा।

2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 (बाद में विनियमों के रूप में संदर्भित) अनुसूचि–1 में, विनियम 2 के लिए, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''2 **प्रवेश हेतु योग्यता.**—आयुर्वेद स्नातकीय शिक्षा में प्रवेश हेतु योग्यता निम्न प्रकार होगी:–

(क) सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार सम्बंधित राज्य सरकार के मान्य शिक्षा बोर्ड से माध्यमिक (10+2) एवं उसके समकक्ष परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी विषयों सहित न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको सहित पास हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के उम्मीदवार उपरोक्त परीक्षाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान विषयों सहित 40 प्रतिशत अंको से उतीर्ण हो।

(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट विकलांगता तल चिन्ह रखने वाले अभ्यर्थियों के मामलें में, सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत होगें।

(ग) किसी भी उम्मीदवार को जब तक वह पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश के समय 31 दिसम्बर को सत्रह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है और पाठ्यक्रम में पहले वर्ष में प्रवेश के समय 31 दिसम्बर को पच्चीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त नहीं हो, बीएएमएस उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

बशर्ते अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों एवं शारीरिक विकलांग अभियर्थियों को पांच वर्ष की अधिकतम आयु में छूट दी जाए।

(घ) (i) स्नातक स्तर पर सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा होगी, अर्थात् प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी) और केन्द्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी।

(ii) शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवार के लिए आवश्यक शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित स्नातक पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशतक न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(क) अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम अंक 40 प्रतिशतक होगें।

(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट विकलांगता तल चिन्ह रखने वाले अभ्यर्थियों के मामलें में, सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम अंक 45 प्रतिशतक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 40 प्रतिशतक होगें।

व्याख्या– प्रतिशतक का निर्धारण अखिल भारतीय आयुष स्नातकीय पात्रता परीक्षा मे अखिल भारतीय सामान्य योग्यता क्रमसूची में उच्चतम प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।

बशर्ते कि जब संबंधित श्रेणियों में उम्मीदवारों की उचित संख्या स्नातकीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु किसी शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित किए गए अखिल भारतीय आयुष स्नातकीय पात्रता परीक्षा, जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट है, में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल हो जाए तो केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय परिषद् के परामर्श से अपने विवेक से संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंको को कम करने का निर्णय ले सकती हैं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कम किए गए अंक मात्र उस शैक्षिक वर्ष हेतु लागू होंगे।

(iii) अखिल भारतीय आम योग्यता सूची के साथ–साथ पात्र उम्मीदवारों की राज्यवार योग्यता सूची राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी और सम्बंधित श्रेणी के उम्मीदवारों को केवल मेरिट सूचियों के आधार पर ही स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश कराया जाएगा।

(iv) सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए सीट मैट्रिक्स अखिल भारतीय कोटा पंद्रह प्रतिशत होगा और पिचासी प्रतिशत राज्यों और संघशासित प्रदेशों के लिए होगा।

(v) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसाइटी, अल्पसंख्यक संस्थान, निगम या कंपनी द्वारा स्थापित संस्थानों सहित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सभी आयुर्वेद शैक्षिक संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रम के सभी प्रवेश के लिए परामर्श के लिए नामित प्राधिकारी सम्बंधित राज्य या संघ क्षेत्र होगा, जैसा भी मामला हो।

(vi) अखिल भारतीय कोटा के तहत सीटों के लिए बीएएमएस कोर्स में सभी प्रवेश के लिए परामर्श और केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित सभी आयुर्वेद शैक्षणिक संस्थानों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जायेगा।

(vii) कोई भी उम्मीदवार जो उपर निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है, उसे शैक्षणिक वर्ष में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित नहीं किया जायेगा।

(viii) कोई भी प्राधिकरण या संस्थान पाठ्यक्रम के लिए मानदंड या प्रक्रिया के उंलघन में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए किसी भी उम्मीदवार का प्रवेश नहीं करेगा और मानदंड या प्रक्रिया के उल्लंघन में प्रवेशित किसी भी उम्मीदवार को तत्काल केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्वहन कर दिया जायेगा।

(ix) उपरोक्त मानदंड या प्रक्रिया के उल्लंघन में किसी भी छात्र को प्रवेश देने वाला प्राधिकरण या संस्थान अधिनियम के प्रावधानों के सन्दर्भ में कारवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ई) विदेशी नागरिकता के उम्मीदवार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात् किसी भी अन्य समकक्ष योग्यता की अनुमति दी जा सकती है और खंड (डी) विदेशी नागरिक के उम्मीदवार के लिए लागू नहीं होगा।

3. नियमन नियमों में, नियम 2 के लिए, अनुसूची–2 में, निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''2 **प्रवेश के लिए योग्यता**.—सिद्वा स्नातक शिक्षा में प्रवेश लेने की पात्रता निन्नानुसार होगी:–

(क) सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को सम्बंधित राज्य सरकार और शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी के विषयों सहित कम से कम 50 प्रतिशत अंक उतीर्ण होने चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी में 45 प्रतिशत अंको से उतीर्ण होने चाहिए।

(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट विकलांगता तल चिन्ह रखने वाले अभ्यर्थियों के मामलें में, सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत होगें।

(ग) किसी भी उम्मीदवार् को बी.एस.एम.एस डिग्री कोर्स में भर्ती नहीं किया जाएगा जब तक कि वह पाठय्क्रम के पहले वर्ष में अपने प्रवेश के समय अथवा 31 दिसम्बर पाठयक्रम के पहले वर्ष में 17 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता और 25 वर्ष से अधिक ना हो प्रवेश के समय अथवा 31 दिसम्बर से पहले पाठयक्रम के पहले वर्ष में।

बशर्ते अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 5 साल तक की छुट दी जाएगी।

(घ) 1. स्नातक स्तर पर सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए एक समान्य प्रवेश परीक्षा होगी अथवा प्रत्येक वर्ष में स्नातक पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ईटी.) और केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत एक संस्थान इस परीक्षा को आयोजित करेगा।

2. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य उम्मीद्वार को शैक्षनिक वर्ग के लिए आयोजित राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशतक न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

बशर्ते कि—

(क) अनुसिचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीद्वार को न्यूनतम 40 प्रतिशतक प्राप्त करने होगें।

(ख) विक्लांग व्यक्तियों के अधिनियम 2016 (2016 का 49) के अधिकार के तहत् सामान्य श्रेणी के उम्मीद्वारों को न्यूनतम अंक 45 प्रतिशतक प्राप्त करने होंगे और अनुसिचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को 40 प्रतिशतक अंक प्राप्त करने होंगे।

स्पष्टीकरण:—

स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा में अखिल भारतीय सामान्य योग्यता सूची में सुरक्षित उच्चतम अंको के आधार पर प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा,

बशर्ते कि जब संबंधित श्रेणियों में उम्मीदवारों की उचित संख्या स्नातकीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु किसी शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित की गई राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा, जैसाकि ऊपर विनिर्दिष्ट है, में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल हो जाए तो केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय परिषद् के परामर्श से अपने विवेक से संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंको को कम करने का निर्णय ले सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कम किए गए अंक मात्र उस शैक्षिक वर्ष हेतु लागू होंगे।

(iii) राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की एक अखिल भारतीय सामान्य योग्यता क्रमसूची एवं राज्यवार योग्यता क्रमसूची तैयार की जाएगी तथा स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु अभ्यर्थियों, संबंधित श्रेणियों के अन्तर्गत, का प्रवेश मात्र इन सूचियों से होगा।

(iv) सरकारी, सरकारी—सहायता प्राप्त संस्थानों एवं निजी संस्थानों में प्रवेश हेतु सीट मैट्रिक्स अखिल भारतीय कोटा हेतु 15 प्रतिशत होगी एवं राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र कोटा हेतु 85 प्रतिशत होगी।

(v) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसायटी, अल्प संख्यक संस्थानों, निगमों अथवा कम्पनी द्वारा स्थापित संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में समस्त आयुर्वेद शिक्षण संस्थानों में स्नातकीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउन्सेलिंग के लिए नियुक्त प्राधिकारी संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित नियमों/विनियमों के अनुसार, जैसा मामला हो, संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र होगा।

(vi) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित समस्त सिद्ध संस्थानों एवं अखिल भारतीय कोटा के अधीन सीटों हेतु बी.एस.एम.एस. पाठ्यक्रम में सभी प्रवेशों के लिए काउन्सेलिंग केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा आयोजित कराई जाएगी।

(vii) कोई भी अभ्यर्थी जो उपरोक्त निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है उसे उस शैक्षिक वर्ष में स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(viii) प्रवेश के सम्बन्ध में इन विनियमों द्वारा निर्धारित मानदंड अथवा प्रक्रिया के उल्लंघन में स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए कोई भी प्राधिकारी अथवा संस्था किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश प्रदान नहीं करेगा तथा उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करके प्रवेश किये गये किसी भी अभ्यर्थी को तत्काल केन्द्रीय परिषद् द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा।

(ix) प्राधिकरण/संस्था जो किसी भी छात्र को उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करके प्रवेश प्रदान करती है, उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(ङ) अभ्यर्थी को 10वीं कक्षा अथवा उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में तमिल विषय को समस्त विषयों में से एक विषय के रूप मे उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

(च) वे अभ्यर्थी जो खण्ड (ङ) के अन्तर्गत नही आते हैं उन्हें प्रथम व्यवसायिक पाठ्यक्रम के दौरान तमिल का एक विषय के रूप में अध्ययन करना होगा।

(छ) विदेशी राष्ट्रीयता के अभ्यर्थियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समकक्ष अर्हता की स्वीकृति प्रदान की जाएगी एवं खण्ड (घ) उन विदेशी राष्ट्रीयता के अभ्यर्थियों के लिए लागू नही होंगे।"

4. उक्त विनियमों में विनियम 2 में, अनुसूची (iii) में, खण्ड (क) हेतु निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–"(क) कामिल–ए–तिब–ओ जराहत पाठ्यक्रम में प्रवेशः कामिल–ए–तिब–ओ जराहत (बैचलर आफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी–बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्रता निम्नवत् होगी :–

(क) अभ्यर्थी ने संबंधित राज्य सरकार एवं शिक्षा बोर्ड से मान्यताप्राप्त इण्टरमीडिएट (10+2) अथवा इसकी समकक्ष परीक्षा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषयों एवं व्यक्तिगत तौर पर अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो तथा सामान्य क्षेणी के अभ्यर्थियों के मामले में उक्त अर्हता परीक्षा में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में सम्मिलित रूप से न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक अनिवार्य रूप से प्राप्त किए हों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के मामले में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों:

बशर्ते कि अभ्यर्थी को एक विषय के रूप में उर्दू या अरबी या फारसी भाषा सहित 10वीं दर्जा उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा विश्वविद्यालय या बोर्ड या पंजीकृत सोसायटी, जो भारत सरकार द्वारा ऐसी परीक्षा का आयोजन कराने हेतु प्राधिकृत हो, के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में 10वीं दर्जे की उर्दू की परीक्षा (जहां कहीं ऐसी परीक्षा आयोजित कराने का प्रावधान है) उत्तीर्ण हो।

(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट विकलांग व्यक्तियों के मामलें में, सामान्य श्रेणी हेतु भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवंज जीव विज्ञान में उक्त अर्हता परीक्षा में न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के मामले में न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत होगें।

(ग) किसी भी अभ्यर्थी को बी.यू.एम.एस उपाधि पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश प्राप्त नहीं होगा जब तक कि वह पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अपने प्रवेश के वर्ष की 31 दिसम्बर को अथवा इससे पूर्व 17 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है तथा वह पाठय्क्रम के प्रथम वर्ष में अपने प्रवेश के वर्ष की 31 दिसम्बर को अथवा इससे पूर्व 25 वर्ष की आयु से अधिक ना हो।

बशर्ते कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्षो की छूट होगी।

(घ) (i) प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्नातकीय स्तर पर समस्त चिकित्सा संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा अर्थात राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी.) होगी तथा इसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा आयोजित कराया जाएगा;

बशर्ते की राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी.) पूर्व तिब अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होंगी। पूर्व तिब अभ्यर्थियों के लिए सीटें आरक्षित होंगी।

(ii) किसी शैक्षिक वर्ष हेतु स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को उस शैक्षिक वर्ष हेतु आयोजित स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी.) में न्यूनतम पचास प्रतिशतक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा;

बशर्ते की निम्न के संबंध में–

(I) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम प्राप्त अंक 40 प्रतिशतक होंगे।

(II) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट विकलांगता तल चिन्ह रखने वाले अभ्यर्थियों के मामलें में, सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम अंक 45 प्रतिशतक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 40 प्रतिशतक होगें।

व्याख्या– प्रतिशतता का निर्धारण स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु आयोजित राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी.) मे अखिल भारतीय सामान्य योग्यता क्रमसूची में उच्चतम प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।

बशर्ते कि जब संबंधित श्रेणियों में उम्मीदवारों की उचित संख्या स्नातकीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु किसी शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित किए गए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी.), जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट है, में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल हो जाए तो केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय परिषद् के परामर्श से अपने विवेक से संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंको को कम करने का निर्णय ले सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कम किए गए अंक मात्र उस शैक्षिक वर्ष हेतु लागू होंगे।

(iii) राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की एक अखिल भारतीय योग्यता क्रमसूची एवं राज्यवार योग्यता क्रमसूची तैयार की जाएगी तथा अभ्यर्थी जो कि संबंधित श्रेणियों के अन्तर्गत आते है, उनका प्रवेश स्नातकीय पाठ्यक्रम में मात्र इन सूचियों से होगा।

(iv) सरकारी, सरकारी–सहायता प्राप्त संस्थानों एवं निजी संस्थानों में प्रवेश हेतु सीट मैट्रिक्स अखिल भारतीय कोटा हेतु 15 प्रतिशत होगी एवं राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र कोटा हेतु 85 प्रतिशत होगी।

(v) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसायटी, अल्प संख्यक संस्थानों, निगमों अथवा कम्पनी द्वारा स्थापित संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में समस्त आयुर्वेद शिक्षण संस्थानों में

स्नातकीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउन्सेलिंग के लिए नियुक्त प्राधिकारी संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित नियमों/विनियमों के अनुसार, जैसा मामला हो, संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र होगा।

(vi) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित समस्त यूनानी शिक्षा संस्थानों एवं अखिल भारतीय कोटा के अधीन सीटों हेतु बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में सभी प्रवेशों के लिए काउन्सेलिंग केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा आयोजित कराई जाएगी।

(vii) कोई भी अभ्यर्थी जो उपरोक्त निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है उसे शैक्षिक वर्ष में स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(viii) प्रवेश के सम्बन्ध में इन विनियमों द्वारा निर्धारित मानदंड अथवा प्रक्रिया के उल्लंघन में स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए कोई भी प्राधिकारी अथवा संस्था किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश प्रदान नहीं करेगा तथा उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करके प्रवेश किये गये किसी भी अभ्यर्थी को तत्काल केन्द्रीय परिषद् द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा।

(ix) प्राधिकरण/संस्था जो किसी भी छात्र को उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करके प्रवेश प्रदान करती है, वह अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(ङ) विदेशी राष्ट्रीयता के अभ्यर्थियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समकक्ष अर्हता की स्वीकृति प्रदान की जाएगी एवं खण्ड (घ) उन विदेशी राष्ट्रीयता के अभ्यर्थियों के लिए अथवा एक वर्ष की अवधि की पूर्व तिब परीक्षा के लिए लागू नही होंगे।"

शमशाद बानो, निबंधक—सह—सचिव

[विज्ञापन—III/4/असा./402/2018]

टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत सरकार के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4 में संख्या 8—3/86—विनियम दिनांक 31 मई, 1986 के द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा अधिसूचना संख्या 24—14/2016 (स्नातकीय विनियम) दिनांक 7 नवम्बर, 2016, संख्या 18—12/2016—सिद्ध (स्नातकीय पाठ्य विवरण) दिनांक 7 नवम्बर, 2016, तथा संख्या 11—76/2016—यूनानी (स्नातकीय विनियम) दिनांक 7 नवम्बर, 2016 के द्वारा अन्तिम बार संशोधित किया गया था।

टिप्पणी : अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अग्रेंजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2018 को अन्तिम माना जायेगा।

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2018

F. No. 24-14/2018 (UG Regulation).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, namely:—

1. **Short title, commencement and application.–**(1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These regulations shall apply to students who shall be admitted for B.A.M.S., B.S.M.S. and B.U.M.S from the commencement of the academic session (2019-2020).

2. In the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986 (hereinafter referred to as the said regulations) in Schedule-I, for regulation 2, the following regulation shall be substituted, namely:-

"2. Eligibility for Admission.- The eligibility to seek admission in Bachelor of Ayurveda education shall be as under:-

(a) The candidate must have passed intermediate (10+2) or its equivalent examination recognised by the concerned State Government and Education Board with the subjects of Physics, Chemistry, Biology and English individually and must have obtained minimum of fifty per cent. marks taken together in Physics, Chemistry and Biology at the aforesaid qualifying examination in the case of general category and forty per cent. Marks in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(b) In respect of persons with disability candidate specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum qualifying marks in the said qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology shall be forty-five per cent. in the case of general category and forty per cent. in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) No candidate shall be admitted to B.A.M.S Degree Course unless he has attained the age of seventeen years on or before the 31st December of the year of his admission in the first year of the course and not more than of twenty-five years on or before the 31st December of the year of admission in the first year of the course:

Provided that the upper age limit may be relaxed by five years in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and physically handicapped candidates.

(d) (i) There shall be a uniform entrance examination for all medical institutions at the under-graduate level, namely the National Eligibility Entrance Test (NEET) for admission to under-graduatecourse in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the Central Government.

(ii) In order to be eligible for admission to under-graduate course for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the 'National Eligibility Entrance Test for under-graduate course' held for the said academic year:

Provided that in respect of-

(A) candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile;

(B) candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum marks shall be at 45th percentile in the case of general category and 40th percentile in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

Explanation.—The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the all India common merit list in the National Eligibility Entrance Test for under-graduate courses:

Provided further that when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks in the National Eligibility Entrance Test, as specified above, held for any academic year for admission to under-graduate courses, the Central Government in consultation with the Central Council may at its discretion lower the minimum marks required for admission to under-graduate course for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for that academic year only.

(iii) An all India common merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in the National Eligibility Entrance Test and the candidates, within the respective categories, shall be admitted to under-graduate course from the said merit lists only.

(iv) The seat matrix for admission in the Government, Government-aided Institutions and Private Institutions shall be fifteen per cent. for the all India quota and eighty-five per cent. for the States and Union territories quota.

(v) The designated authority for counseling for all admissions to under-graduate course in all Ayurveda educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Deemed University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.

(vi) The counseling for all admission to B.A.M.S Course for seats under all India quota as well as for all Ayurveda educational institutions established by the Central Government shall be conducted by the authority designated by the Central Government.

(vii) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as specified above shall be admitted to under-graduate course in the said academic year.

(viii) No authority or institution shall admit any candidate to the under-graduate course in contravention of the criteria or procedure as laid down by these regulations in respect of admissions and any candidate admitted in contravention of the said criteria or procedure shall be discharged by the Central Council forthwith.

(ix) The authority or institution which grants admission to any student in contravention of the aforesaid criteria or procedure shall be liable to face action in terms of the provisions of the Act.

(e) For foreign national candidate any other equivalent qualification to be approved by the Central Government may be allowed and clause (d) shall not be applicable for said foreign national candidate.".

3. In the said regulations, in Schedule-II, for regulation 2, the following regulation shall be substituted, namely:—

"2. Eligibility for admission.- The eligibility to seek admission in Bachelor of Siddha education shall be as under:—

(a) The candidate must have passed intermediate (10+2) or its equivalent examination recognised by the concerned State Government and Education Boardwith the subjects of Physics, Chemistry, Biology and English individually and must have obtained minimumfifty per cent. marks taken together in Physics, Chemistry and Biology at the aforesaid qualifying examination in the case of general category and forty per cent.marks in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(b) In respect of persons with disability candidate specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum qualifying marks in the said qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology shall be forty-five per cent. in the case of general category and forty per cent. in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) No candidate shall be admitted to B.S.M.S Degree Course unless he has attained the age of seventeen years on or before the 31st December of the year of his admission in the first year of the course and not more than of twenty-five years on or before the 31st December of the year of admission in the first year of the course:

Provided that the upper age limit may be relaxed by five years in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and physically handicapped candidates.

(d) (i) There shall be a uniform entrance examination for all medical institutions at the under-graduate level, namely the National Eligibility Entrance Test (NEET) for admission to under-graduate course in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the Central Government.

(ii) In order to be eligible for admission to under-graduate course for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the 'National Eligibility Entrance Test for under-graduate course' held for the said academic year:

Provided that in respect of-

(A) candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile;

(B) candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum marks shall be at 45th percentile in the case of general category and 40th percentile in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

Explanation.—The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the all India common merit list in the National Eligibility Entrance Test for under-graduate courses:

Provided further that when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks in the National Eligibility Entrance Test, as specified above, held for any academic year for admission to under-graduate courses, the Central Government in consultation with the Central Council may at its discretion lower the minimum marks required for admission to under-graduate course for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for that academic year only.

(iii) An all India common merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in the National Eligibility Entrance Test and the candidates, within the respective categories, shall be admitted to under-graduate course from the said merit lists only.

(iv) The seat matrix for admission in the Government, Government-aided Institutions and Private Institutions shall be fifteen per cent. for the all India quota and eighty-five per cent. for the States and Union territories quota.

(v) The designated authority for counseling for all admission to under-graduate course in all Ayurveda educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Deemed University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.

(vi) The counseling for all admission to B.S.M.S Course for seats under all India quota as well as for all Siddha educational institutions established by the Central Government shall be conducted by the authority designated by the Central Government.

(vii) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as specified above shall be admitted to under-graduate course in the said academic year.

(viii) No authority or institution shall admit any candidate to the under-graduate course in contravention of the criteria or procedure as laid down by these regulations in respect of admissions and any candidate admitted in contravention of the said criteria or procedure shall be discharged by the Central Council forthwith.

(ix) The authority or institution which grants admission to any student in contravention of the aforesaid criteria or procedure shall be liable to face action in terms of the provisions of the Act.

(e) Candidate must have passed Tamil as one of the subjects in the 10th Standard or in Higher Secondary course.

(f) Candidates who are not covered under clause (e) shall have to study Tamil as a subject during the First Professional course.

(g) For foreign national candidate any other equivalent qualification to be approved by the Central Government may be allowed and clause (d) shall not be applicable for said foreign national candidate.".

4. In the said regulations, in Schedule-III, in regulation 2, for clause (A), the following clause shall be substituted, namely:—

"(A) Admission to KamileTib-O-Jarahat course: The eligibility to seek admission in KamileTib-O-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery- B.U.M.S.) course shall be as under:-

(a) The candidate must have passed intermediate (10+2) or its equivalent examination recognised by the concerned State Government and Education Board withsubjects of Physics, Chemistry, Biology and English individually and must have obtained minimum fifty per cent. marks taken together in Physics, Chemistry and Biology at the aforesaid qualifying examination in the case of general category and forty per cent. marks in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes:

Provided that the candidate must have passed the 10th standard with Urdu or Arabic or Persian language as a subject, or clear the test of Urdu of 10th Standard (wherever there is provision to conduct of such test) in the entrance examination conducted by the University or Board or registered Society or Associationauthorised by the Government to conduct such examination.

(b) In respect of persons with disability candidate specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum qualifying marks in the said qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology shall be forty-five per cent. in the case of general category and forty per cent. in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) No candidate shall be admitted to B.U.M.S Degree Course unless he has attained the age of seventeen years on or before the 31st December of the year of his admission in the first year of the course and not more than of twenty-five years on or before the 31st December of the year of admission in the first year of the course:

Provided that the upper age limit may be relaxed by five years in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and physically handicapped candidates.

(d) (i) There shall be a uniform entrance examination for all medical institutions at the under-graduate level, namely the National Eligibility Entrance Test (NEET) for admission to under-graduate course in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the Central Government:

Provided that the NEET shall not applicable to Pre-Tib candidates and ten per cent. seatsshall be reserved for Pre-Tib candidates.

(ii) In order to be eligible for admission to under-graduate course for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the 'National Eligibility Entrance Test for under-graduate course' held for the said academic year:

Provided that in respect of-

(I) candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile;

(II) candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum marks shall be at 45th percentile in the case of general category and 40th percentile in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

***Explanation.*—**The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the all India common merit list in the National Eligibility Entrance Test for under-graduate courses:

Provided further that when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks in the National Eligibility Entrance Test, as specified above, held for any academic year for admission to under-graduate courses, the Central Government in consultation with the Central Council may at its discretion lower the minimum marks required for admission to under-graduate course for candidates belonging to

respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for that academic year only.

(iii) An all India common merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in the National Eligibility Entrance Test and the candidates, within the respective categories, shall be admitted to under-graduate course from the said merit lists only.

(iv) The seat matrix for admission in the Government, Government-aided Institutions and Private Institutions shall be fifteen per cent. for the all India quota and eighty-five per cent. for the States and Union territories quota.

(v) The designated authority for counseling for all admission to under-graduate course in all Ayurveda educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Deemed University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.

(vi) The counseling for all admission to B.U.M.S Course for seats under all India quota as well as for all Unani educational institutions established by the Central Government shall be conducted by the authority designated by the Central Government.

(vii) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as specified above shall be admitted to under-graduate course in the said academic year.

(viii) No authority or institution shall admit any candidate to the under-graduate course in contravention of the criteria or procedure as laid down by these regulations in respect of admissions and any candidate admitted in contravention of the said criteria or procedure shall be discharged by the Central Council forthwith.

(ix) The authority or institution which grants admission to any student in contravention of the aforesaid criteria or procedure shall be liable to face action in terms of the provisions of the Act.

(e) For foreign national candidates any other equivalent qualification to be approved by the Central Government maybe allowedand clause (d) shall not be applicable for said foreign national candidates or the Pre-Tib examination of one-year duration.".

SHAMSHAD BANO, Registrar-Cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./402/2018]

Note : The Principal regulations were published in the Gazette of India, Part-III, Section-4, *vide* number 8-3/86-Regl., dated the May 31, 1986 and were last amended *vide* notification F. No. 24-14/2016(U.G. Regulation), dated the 7th November, 2016, F. No. 18-12/2016-Siddha (Syllabus UG), dated the 7th November, 2016 and F. No. 11-76/2016-Unani (U.G. Regl.), dated the 7th November, 2016.

(If any discrepancy is found between Hindi and English version of "Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2018", the English version will be treated as final.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2018.12.10 22:40:43 +05'30'